

दिल्ली राजपत्र



Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2009, बृहस्पतिवार/कार्तिक 22—कर्तिक 28, 1931 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 227,230,232,234]
No. 42] DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2009, THURSDAY/KARTIKA 22—KARTIKA 28, 1931 [N.C.T.D.Nos.227,230,232,234]

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10 (903)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8390—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरटी आउटसोर्सिंग सर्विसेज लि., डी-1/3,
ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेस-II, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने
वाले रुपये 65,00,02,800 मूल्य के प्रिफरेंस एवं इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या पी-2100001 से पी-5651903 और 53,23,037
से 53,23,136 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,50,003 (रुपये
छ: लाख पचास हजार तीन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY
ORDERS

Delhi, the 9th November, 2009

F. No. 10(903)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8390.—In
exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-
section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899
(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry
of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the
24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue
Authority, Delhi hereby directs that M/s. RT Outsourcing
Services Limited, D-1/3, Okhla Industrial Area, Phase-II,
New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of
Rs. 6,50,003 (Rs. Six Lac Fifty Thousand Three) only on
the aggregate value of shares of Rs. 65,00,02,800 for
preference shares certificate with distinctive No. P-2100001
to P-5651903 and equity share certificates with distinctive
Nos. 53,23,037 to 53,23,136 to be issued by the said
company.

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10 (920)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/8425-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या मेन्यूफैक्चरिंग इंडिया लि. 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,73,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2050008 से 2067307 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 173 (रुपये एक सौ तिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

Delhi, the 10th November, 2009

F. No. 10(920)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8425.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 173 (Rs. One Hundred Seventy Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,73,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 2050008 to 2067307 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)